बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०सं०–9/आ०–08–13/2018(स्वा०) .... /पटना, दिनांकः–...

डॉ० संतोष कुमार सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, सिकरा भोला, तुरकोलिया, मोतिहारी के विरूद्ध वर्ष 1994 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं०–716(9) दिनांक–10.07.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा डॉ० सिंह को पत्र प्रेषित कर एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, परन्तु उनके द्वारा अपना प्रत्युत्तर समर्पित नहीं करने के फलस्वरूप उन्हें अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

3. प्रमाणित आरोप के आलोक में विभागीय पत्रांक–546(9) दिनांक–22.05.2019 द्वारा डॉ० सिंह से द्वितीय कारण–पृच्छा की गयी। प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने के फलस्वरूप विभागीय पत्रांक–596(9) दिनांक–25.07.2022 द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रत्युत्तर समर्पित करने का अवसर दिया गया परन्तु प्रत्युत्तर अप्राप्त रहा।

4. डॉ० सिंह के विरूद्ध वर्ष 1994 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के प्रमाणित आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्तगी के प्रस्ताव पर माननीय तत्कालीन उप मुख्य (स्वास्थ्य) मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्राक–4687 दिनांक–19.02.2024 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर आयोग द्वारा सहमति व्यक्त किया गया।

5. सिविल सर्जन, मोतिहारी के पत्रांक–4030 दिनांक–25.10.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि डॉ० सिंह का जन्म तिथि–27.08.1957 है। इस प्रकार डॉ० सिंह दिनांक–31.08.2024 को सेवानिवृत्त हो गये। फलस्वरूप बर्खास्तगी की शास्ति प्रभावी नहीं हो सकी। तदोपरान्त विभागीय संशोधित संकल्प सं०–1015(9) दिनांक–08.10.2024 द्वारा डॉ० सिंह के विरूद्ध उनके सेवाकाल में संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ख) के अधीन सम्परिवर्तित किया गया।

6. डॉ० सिह के सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की शास्ति प्रभावी नहीं हो सकने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पूर्व में दिए गए बर्खास्तगी अनुमोदन को क्षान्त/निष्क्रिय करते हुए डॉ० सिंह के विरूद्ध वर्ष 1994 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवानिवृत्ति की तिथि से उपदान सहित शत प्रतिशत पेंशन की राशि जब्त करने की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

7. विभागीय पत्रांक–119(9) दिनांक–05.02.2025 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति की मॉग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–4949 दिनांक–17.03.2025 के द्वारा प्राप्त मंतव्य के आलोक मे डॉ० संतोष कुमार सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, सिकरा भोला, तुरकोलिया, मोतिहारी के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(क) के अधीन पेंशन स्वीकृति की तिथि से उपदान सहित शत प्रतिशत पेंशन की राशि जब्त करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

8. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

30/04/2025

(15)

ज्ञापांकः–9/आ0–08–13/2018(स्वा0) 421(9) /पटना, दिनांकः– 30.4.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० संतोष कुमार सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, सिकरा भोला, तुरकोलिया, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

30/04/2025

सरकार के अवर सचिव।